केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2020/21 दिनांक: 21.01.2020
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/P/2020/00009
CICOM/R/P/2020/00040

अपीलकर्ता : **श्री अजय मलिक,**
मकान सं. 2358, एकता नगर,
नजदीक ब्राहमण धर्मशाला,
संगमा कार वाशिंग वाली गली,
जींद, हरियाणा - 126102.

निर्णय की तारीख : 21.01.2020

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	05.11.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	14.01.2020
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	28.12.2019
प्रथम अपील आवेदन का डायरी सं. व तिथि	20355/16.12.2019)

आर.टी.आई. आवेदन का संक्षिप्त विवरण:-

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 05.11.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-

   1. Dairy number 149355/2019 लौटाने का कारण बताएं और साथ में नियमों की कॉपी भी दें ।
   2. प्रथम अपील करने के बाद यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी का रिस्पांस न आए, कम से कम कितने समय में आयोग में अपील कर सकते हैं साथ में नियमों की कॉपी भी दें ।
   3. प्रथम अपील करने के बाद यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी का रिस्पांस न आए, कम से कम 45 दिन का समय आयोग में होना चाहिए ये नियम कब आया साथ में की कॉपी भी दें

2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा बिंदुवार प्रदान की गई सूचना निम्नलिखित है:-

   1. डायरी नं. 149355/2019 लौटाने का कारण इस कमीशन द्वारा जारी सुविधा ज्ञापन (Diary No. 149355/2019) दिनांक 15.10.2019 जिसकी कमीशन के सॉफ्टवेयर से निकाली गई प्रति सुलभ हेतु संलग्न है । रूल के लिए कृपया आप rule 8 of RTI Rules 2012 (जो कि Public domain में है) का अवलोकन करें, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि द्वितीय अपील के साथ कौन से कागजात संलग्न करना आवश्यक है ।

   2 & 3 कृपया Section 19 (6) of RTI Act, 2005 (जो कि Public domain में है) का अवलोकन करें ।

O/C

3. प्रथम अपील के तर्कसंगत निपटान के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री कृष्ण अवतार तलवार से टिप्पणी मांगी गई, परन्तु अभी तक कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई ।

4. मामले की सुनवाई:-

प्रस्तुत प्रथम अपील का तर्कसंगत निपटान हेतु अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में दिए गए मोबाइल नं. 8295898366 पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21.01.2020 को मामले की सुनवाई की गई ।

C. I. C./के॰ सू॰ आ॰
RECEIVED
21 JAN 2020
D. No.
Initials

P.T.O.

निर्णय

5. मामले की सुनवाई एवं संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 14.01.2020 को प्रेषित की गई **सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

साथ ही यह भी पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 05.11.2019 का आर.टी.आई. आवेदन डाक अनुभाग द्वारा दिनांक 14.01.2020 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को अग्रसारित किया गया है, जिसके कारण यह आवेदन दो महीने से अधिक समय तक अपेक्षित कार्यवाही के लिए लंबित रहा ।

6 तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

7. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

(योगेश कुमार सिंघल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. संयुक्त सचिव (प्रशासन) - जांच कर कार्रवाई की जाए ।
2. श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (CR-1), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
3. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।